संस्था सदस्य वस्तु ऋण भाग उक्त नियत अनुपात से अधिक लेना चाहता हैं तो उसे उस सीमा तक नगद अनुपात से कम करते हुए सुविधा प्रदान की जावेगी, लेकि यह ध्यान रखा जावे कि वस्तु भाग की बाजार में कमी की दशा में सीमा से अधिक वस्तु ऋण न दिया जावें। एवं परिस्थितियों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।

| क्रं. | फसल का नाम एवं प्रकार | वर्ष 2016–17 हेतु प्रस्तावित ऋणमान (प्रति हेक्ट.) (राशि रू0 में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | नगद | वस्तु | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **खरीफ फसल** | | | |
| 1 | सोयाबीन उन्नत | 11500 | 11500 | 23000 |
| 2 | उडद,मूंग उन्नत | 8000 | 8000 | 16000 |
| 3 | मूंगफली उन्नत | 10000 | 10000 | 20000 |
| 4 | ज्वार उन्नत | 8000 | 8000 | 16000 |
| 5 | ज्वार शंकर | 6500 | 6500 | 13000 |
| 6 | मक्का उन्नत | 8000 | 8000 | 16000 |
| 7 | मक्का शंकर | 6000 | 6000 | 12000 |
| 8 | अरहर उन्नत | 11000 | 11000 | 22000 |
| 9 | तिल उन्नत | 6300 | 6300 | 12600 |
| | **रबी फसल** | | | |
| 1 | गेहूँ सिंचित | 14000 | 14000 | 28000 |
| 2 | गेहूँ असिंचित | 8000 | 8000 | 16000 |
| 3 | चना सिंचित | 12000 | 12000 | 24000 |
| 4 | चना असिंचित | 6000 | 6000 | 12000 |
| 5 | मटर सिंचित | 10000 | 10000 | 20000 |
| 6 | धनिया सिंचित | 16600 | 16600 | 33200 |
| 7 | मसूर सिंचित | 10000 | 10000 | 20000 |
| 8 | सरसो सिंचित | 10000 | 10000 | 20000 |
| 9 | अलसी सिंचित | 4000 | 4000 | 8000 |
| 10 | गन्ना सिंचित | 20000 | 20000 | 40000 |
| | **फल एवं सब्जियां** | | | |
| 1 | आलू सिंचित,उन्नत | 52700 | 52700 | 105400 |
| 2 | प्याज सिंचित,उन्नत | 37200 | 37200 | 74400 |
| 3 | लहसून सिंचित,उन्नत | 67900 | 67900 | 135800 |
| 4 | संतरा सिंचित,उन्नत | 60000 | 60000 | 120000 |
| 5 | आंवला सिंचित,उन्नत | 20000 | 20000 | 40000 |
| 6 | मटर सिंचित,उन्नत | 15000 | 15000 | 30000 |
| 7 | भिंडी सिंचित,उन्नत | 20000 | 20000 | 40000 |
| 8 | फूलगोभी सिंचित,उन्नत | 15000 | 15000 | 30000 |
| 9 | पत्तागोभी सिंचित,उन्नत | 15000 | 15000 | 30000 |
| 10 | टमाटर सिंचित,उन्नत | 20000 | 20000 | 40000 |

| कं. | फसल का नाम एवं प्रकार | वर्ष 2016–17 हेतु प्रस्तावित ऋणमान (प्रति हेक्ट.) (राशि रू0 में) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | नगद | वस्तु | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | मिर्च सिंचित,उन्नत | 20000 | 20000 | 40000 |
| 12 | अदरक सिंचित,उन्नत | 20000 | 20000 | 40000 |
| 13 | बैगन सिंचित,उन्नत | 15000 | 15000 | 30000 |
| 14 | जीरा सिंचित,उन्नत | 15000 | 15000 | 30000 |
| 15 | नीबू सिंचित उन्नत | 25000 | 25000 | 50000 |
| 16 | पपीता सिंचित उन्नत | 35000 | 35000 | 70000 |
| 17 | अमरूद सिंचित उन्नत | 20000 | 20000 | 40000 |
| | **फूलदार फसले** | | | |
| 1 | गैंदा सिंचित, उन्नत | 22500 | 22500 | 45000 |
| 2 | गुलाब हेदरावादी, उन्नत | 27500 | 27500 | 55000 |
| 3 | नोरंगा सिंचित, उन्नत | 7500 | 7500 | 15000 |
| 4 | गुल दाउदी सिंचित, उन्नत | 7500 | 7500 | 15000 |

उक्तानुसार फसल ऋण हेतु कृषक सदस्यों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से नगद व वस्तु ऋण वितरित किया जाता हैं। कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाऐं म. प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/योजना/2014/1570 भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2014 से प्राप्त निर्देशानुसार प्रत्येक किसान के लिये खरीफ हेतु निर्धारित ऋण खरीफ मौसम में एवं रबी हेतु निर्धारित ऋण रबी मौसम में ही वितरित किया जावेगा। ऋण सीमा से अधिक की राशि किसी भी स्थिति में वितरित नहीं की जावे नगद व वस्तु ऋण का अनुपात 50:50 तथा पूर्व वर्ष में अधिकतम प्रति कृषक/व्यक्ति ऋण साखसीमा रूपये 2,50,000/– नियत की गई थी, जिसमें नगद ऋण रूपये 1,25,000/– एवं वस्तु ऋण रूपये 1,25,000/– निर्धारित थी, जो आगामी वर्ष 2016–17 हेतु भी लागू की जाना प्रस्तावित हैं।

विषय कं.3 :– **ऋण अदायगी क्षमता (LRC)का आंकलन ।**

टीप– किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला राजगढ़ एवं उप संचालक उद्यान विभाग/कृषि उपज मंडी समिति से प्राप्त फसल उत्पादन राशि का आंकलन किया गया। नाबार्ड एवं पंजीयक के निर्देशानुसार कुल उत्पादन मूल्य का 50 प्रतिशत छोडकर शेष 50 प्रतिशत को कृषक की ऋण अदायगी क्षमता आंकी गई हैं। इस 50 प्रतिशत ऋण अदायगी क्षमता में से 35 प्रतिशत अल्पकालीन फसल ऋण हेतु तथा 15 प्रतिशत मध्यकालीन ऋण हेतु नियत किया जाना प्रस्तावित हैं।

**(परिशिष्ट "A" के कॉलम क्रमांक 19 व 20 अनुसार ) प्रस्तावित की जाती हैं।**